FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0080 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/05/2024 17:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 21/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/05/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/05/2024 17:19:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TAHSEL MADHORAJPURA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAWAR LAL SAINI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMCHANDRA SAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	23, DIGGI MALPURA ROAD, SURAJ NAGAR, SANGANER, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	23, DIGGI MALPURA ROAD, SURAJ NAGAR, SANGANER, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9828573111

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ROHIT PAREEK		पिता:AVDESH PAREEK	1. VILLAGE AND POST TUTOLI,CHAKSU,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि नब्बे हजार रूपये की मांग करना	90,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 90,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 21.02.2024 को परिवादी भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र सैनी निवासी 23 सूरज नगर1 सांगानेर, डिग्गी मालपुरा रोड सांगानेर ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि "सेवामे, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर देहात जयपुर। विषयः- पटवारी हल्का माधोराजपुरा के पटवारी श्री रोहित कुमार पारीक के द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध मे। महोदय, निवेदन है कि मै भंवरलाल सैनी पुत्र रामचन्द्र सैनी निवासी 23 सूरज नगर सांगानेर का निवासी हुं। तह0 सांगानेर मैने मेरी पत्नि भंवरी देवी के नाम से ग्राम माधोराजपुरा मे कृषी भूमि 11 बिघा 3 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री करवायी है। जिसका नामान्तरण खुलवाने हेतु पटवार हल्का ग्राम माधोराजपुरा मै पटवारी श्री रोहित कुमार पारीक को मैने रजिस्ट्री की कोपी पेश कर नामान्तकरण खुलवाने हेतु बताया गया तो उक्त पटवारी श्री रोहित पारीक ने मेरे नामान्तकरण के एवज मे कृषी भूमि की रजिस्ट्री की किमत 90,00,300/-के रूपये की 2 प्रतिशत के हिसाब से कुल 1,80,000/-रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के रिश्वत नही देना चाहता अतः उक्त पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के संबंध मे कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्राथी एसडी भंवरलाल सैनी/ भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र सैनी निवासी 23 सूरज नगर 1 सांगानेर, डिग्गी मालपुरा रोड सांगानेर मो0न0 9828573111 दिनांक 21.02.2024" परिवादी श्री भंवर लाल द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिखित होना बताया। परिवादी ने मजिद दरियाफत पर यह भी बताया कि उसके द्वारा ग्राम माधोराजपुरा मे 11 बीघा 3 बिस्वा जमीन करीब 90,00,300/- रूपये में खरीद कर रजिस्ट्री करवाई है जिसका नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा श्री रोहित पारीक से मिला तो उन्होने रजिस्ट्री की राशि का 2 प्रतिशत के हिसाब से करीब 1,80,000/- रूपये रिश्वत के मांग रहा है जिसको मै रिश्वत नही देना चाहता हूं। परिवादी श्री भंवर लाल से जमीन की रजिस्ट्री की फोटो कॉपी उपलब्ध कराने हेतु गया तो उसने कहा कि मै आपको रजिस्ट्री की फोटो कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान द्वारा अग्रिम कार्यवाही आरंभ की जाकर दिनांक 21-2-2023 को ही रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। जिसमें परिवादी श्री भंवर लाल सैनी से आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 20,000/- रूपये प्राप्त करना एवं 70,000/- रूपये बाद मे देना तय होते हुए रिश्वत मांग सत्यापित हुई। जिसकी दिनांक 22-2-2024 को नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की जाकर माईक्रो एसडी कार्ड को जब्त किया गया। दिनांक 23-2-2024 को तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री निखिल कुमार एवं श्री प्रदीप सिंह राठौड़ की उपस्थिति में परिवादी श्री भंवर लाल सैनी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम मे आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री भंवर लाल ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 140 नोट कुल 70000/- रूपये प्रस्तुत किए। जिन पर नियमानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक इन्टे, शाखा भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 23-2-2024 को समय 10.30 एएम पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप सिंह, श्री निखिल कुमार एवं ब्यूरो स्टॉफ श्री नीरज भारद्वाज पुलिस उप अधीक्षक, श्री चांदमल सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 133, श्री केशव चंद हैड कानि0 46, श्री वीरेन्द्र सिंह कानि0 451, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68 मय परिवादी श्री भंवर लाल सैनी के परिवादी की मोटर साईकिल एवं सरकारी वाहनो एवं मोटर साईकिल के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिंटर व आवश्यक सामग्री के गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना जाकर समय करीब 11.22 एएम पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मुहाना मण्डी के गेट पर पहूंचा जहां पर सरकारी वाहनो एवं परिवादी की मोटर साईकिल एवं सरकारी मोटर साईकिल को सड़क के किनारे खड़ कर परिवादी श्री भंवर लाल से उसके मोबाईल नम्बर 9828573111 से आरोपी श्री रोहित पारीक के मोबाईल नम्बर 9602993465 पर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध अधिकारी ने बताया कि वह अभी कलेक्ट्रेट की तरफ आया हुआ है। इस परिवादी ने आरोपी से कहा कि मै 12-12.30 पीएम तक तो यही पर हूं उसके बाद मै शादी मे चला जाउंगा। उक्त सारी वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे माईक्रो एसडी कार्ड मे रिकार्ड की गई। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी

ब्यूरो स्टॉफ व परिवादी को अपने-अपने वाहनो मे बैठकर मुहाना मण्डी के आस पास मुकीम होने के लिए कहा गया। समय करीब 1.00 पीएम पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से संदिग्ध अधिकारी को कॉल करने की कहने पर परिवादी ने बताया कि मै यदि उससे मोबाईल पर वार्ता करूंगा तो शायद उसको शक हो जायेगा क्योकि मैने पूर्व मे श्री रोहित पारीक पटवारी को बता दिया था कि मै आज 12 बजे बाद किसी शादी समारोह मे जाउंगा अतः संभवतया इसलिए आरोपी आज मुझसे फोन नही करेगा। अतः संदिग्ध अधिकारी का कॉल नही आने पर स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार से परिवादी की जेब में रखी हुई रिश्वती राशि 70,000/- रूपये को निकलवाई जाकर एक सफेद कागज मे लपेट कर सुरक्षित रखी गई और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहनो व मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय की तरफ रवाना हुए। समय करीब 1.36 पीएम पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन करे तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध अधिकारी का अभी मेरे पास कॉल आया है परन्तु मैने उठाया नही। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि वह मुहाना मण्डी के मानसरोवर की तरफ से अन्दर प्रवेश करने वाले गेट के पास मिले। तत्पश्चात तत्कालीन अति.पुलिस अधीक्षक हमराहीयान के रास्ते से वापस रवाना होकर मुहाना मण्डी के मानसरोवर गेट के अन्दर प्रवेश किया और सरकारी वाहनो को साईड मे खड़ा किया गया। इतने में परिवादी श्री भंवर लाल सैनी भी हमारे सरकारी वाहनो के पास आ गया। परिवादी श्री भंवर लाल सैनी से संदिग्ध अधिकारी श्री रोहित पारीक के मोबाईल नं0 9602993465 पर परिवादी के मोबाईल नं0 9828573111 से वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध अधिकारी ने बताया कि वह 10 मिनट मे जयपुर से फागी तरफ जाने वाले रास्ते मे मिलेगा। इस पर सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि को पुनः स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार से परिवादी श्री भंवर लाल सैनी की दाहिनी साईड की पेंट की जेब मे रखवाए गये तथा श्री निखिल कुमार के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरफ से साफ करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को उसकी मोटर साईकिल सहित श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 के साथ जयपुर फागी रोड की तरफ रवाना होकर जयपुर फागी रोड़ की तरफ पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय करीब 1.51 पीएम पर परिवादी श्री भंवरलाल सैनी बिना कोई ईशारा किये हुये वापस अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गया जिस पर परिवादी के पीछे पीछे तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हुआ। परिवादी मुहाना मण्डी रोड़ की तरफ अपनी मोटर साईकिल सहित खड़ा हुआ मिला जिससे पूर्व मे सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी ने बताया कि मै विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालु करके पटवारी श्री रोहित पारीक के बताये हुये स्थान पर पहुंचा जहां पर पटवारी अपनी कार मे बैठा हुआ था। जिसके पास पहुंचकर मैने उसको थोडी दुर पर स्थित मिठाई की दुकान पर आने के लिये कहा और मै मिठाई की दुकान पर चला गया जहां पर पटवारी का इंतजार किया पटवारी के नही आने पर मैने पटवारी के मोबाईल पर कॉल किया और उसने कहा कि मिठाई की दुकान पर आ जाओ परन्तु पटवारी मिठाई की दुकान पर नही आया। करीब 2-3 मिनट बाद पटवारी श्री रोहित पारीक का कॉल मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मेरे किसी रिश्तेदार का माधोराजपुरा मे एक्सीडेंट हो गया है मै वहां पर जा रहा हुं तत्पश्चात पटवारी अपनी कार लेकर माधोराजपुरा की तरफ रवाना हो गया मै भी मेरी मोटरसाईकिल स्टार्ट कर वापस आ गया। परिवादी ने यह भी बताया कि पटवारी ने टेलीफोन पर रिश्तेदार का एक्सीडेन्ट होने की बात कही है एवं उसे आज शादी मे भी जाना है इसलिए आज कार्यवाही नही हो सकती है। ऐसी सूरत में परिवादी के पास स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार से पूर्व मे रखवाई गई रिश्वती राशि 70,000/- रूपये को निकलवाया जाकर उनको गिनकर एक सफेद कागज मे लपेट कर सुरक्षित रखी गई। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि यदि संदिग्ध पटवारी श्री रोहित पारीक का रिश्वत लेने के संबंध में कोई कॉल या मैसेज आए तो तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहद खान को अवगत करोवें। अतः परिवादी को मुनासिब हिदायत कर वही पर छोडकर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरों कार्यालय के लिये रवाना जाकर समय करीब 4 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहूंचे। दिनांक 28-2-2024 को परिवादी श्री भंवर लाल सैनी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर स्वतंत्र गवाहान को तलब कर रिश्वत लेन देन से पूर्व रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडीया तैयार की जाकर माईक्रो एसडी कार्ड को जब्त किया गया। तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान का स्थानान्तरण भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर से हो जाने के पश्चात् उक्त गोपनीय पत्रावली मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को चार्ज में प्राप्त होने पर दिनांक 22-3-2024 को परिवादी को तलब कर सुना गया तो परिवादी ने बताया कि श्री रोहित पारीक पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा मेरे द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण खोलने के संबंध में मैने पटवारी श्री रोहित पारीक को फोन किया तो उसने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नही है तथा मैने आपकी नामान्तकरण की पत्रावली सरपंच को भेज दी है तथा परिवादी श्री भंवर लाल सैनी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिश्वती राशि वापस लौटाने का निवेदन किया गया तथा उसका काम भी पटवारी द्वारा पूर्ण करना अंकित किया है। जिस पर परिवादी को उसके द्वारा पूर्व में सुपुर्द किए गए 70,000/- रूपये वापस लौटाए गए। इस प्रकार परिवादी श्री भंवर लाल सैनी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान द्वारा दिनांक 21-2-2024 को करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसमें परिवादी श्री भंवर लाल सैनी एवं आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा, जिला जयपुर के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता की तैयार की गई फर्द ट्रांसक्रिप्ट से पाया गया कि जब परिवादी

श्री भंवर लाल सैनी आरोपी श्री रोहित पारीक से अपने नामान्तकरण के संबंध में मिलता है, तब आरोपी रोहित पारीक परिवादी से कहता है कि '' बता दिया ना काल बताया '' इस परिवादी श्री भंवर लाल कहता है कि ''थे एक परसेन्ट बताया छा'' इस आरोपी श्री रोहित पारीक कहता है कि ''तो एक परसेन्ट कांई ज्यादा बताया क...'' फिर आपस में वार्ता करते है इस परिवादी आरोपी से कहता है कि ''एक परसेन्ट का नब्बे हजार होव नब्बे हजार सरपंच का होगा...'' इस पर आरोपी हां करता है फिर वह परिवादी से कहता है कि ''थे कांई देवाला'' इस पर आपस मे वार्ता करते है तत्पश्चात् आरोपी श्री रोहित पारीक परिवादी श्री भंवर लाल से कहता है कि ''थे मन डेढ़ परसेन्ट दे दिजो'' इस पर परिवादी कहता है कि ''एक'' इस पर आरोपी कहता है कि ''डेढ़ डेढ़''इस पर परिवादी कहता है कि ''अरे डेढ़ तो ज्यादा छ एक परसेन्ट ले लेणा..' इस आरोपी कहता है कि ''थांकी सोगन्ध ज्यादा कोनी..'' इस पर परिवादी आरोपी से कहता है कि ''बीस हजार रूपयो तो अबार दे जाउं छू पेलो काम तो ओ और सत्तर हजार रूपयो तो थे खेला न भाई ई आदमी न दे दे..'' फिर आपस में बाते करते रहते है उसकी बीच परिवादी श्री भंवर लाल सैनी आरोपी श्री रोहित पटवारी से कहता है कि ''ये बीस हजार तो पकड़ो'' इस पर आरोपी रोहित पारीक कहता है कि ''हूं'' फिर परिवादी कहता है कि ''ओर सत्तर हजार रूपया थान ओर मिल जायेगा सुणो..'' इस पर आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी कहता है कि ''अस्सी कर दिजो टोटल'' इस पर परिवादी कहता है कि ''अरे भाई साहब थे अस्सी'' इस पर आरोपी कहता है कि ''यार दस ही तो है..'' इस पर परिवादी कहता है कि ''सुणो लाख रूपयो होग्या फेर तो म दस ओर नो कह दिया नब्बे जणा दे दूंगा..'' इस पर आरोपी कहता है कि ''म तो अब लाख लियो थान अ खेर आ छ बात'' इस पर परिवादी कहता है कि ''लाख ले ला..'' इस आरोपी कहता है कि ''हां'' इस पर परिवादी कहता है कि '' यार नब्बे दे दूंला थान बोल दिया ना तन खेरयू..'' इस पर आरोपी कहता है कि ''अब दस...'' इसके बाद पुनः आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी कहता है कि ''पिसा पिसा पेली देणा पड़ेगा कोपी मिल जायेली थान अ'' फिर बाते करने के पश्चात् आरोपी कहता है कि ''टोटल एक कर दिया छूं'' आदि वार्ताए होती है। दिनांक 23-2-2022 को रिश्वत लेन देन से पूर्व मोबाईल फोन पर हुई वार्ता में आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी परिवादी से कहता है कि ''यार एक काम करो आप'' इस पर परिवादी कहता है कि ''हूं'' इस आरोपी कहता है कि ''किसी ओर के पास रख जाओ फिर मै ले लूंगा और कर देगे'' इस रिश्वत लेन देन से पूर्व परिवादी जब जयपुर फागी रोड़ पर आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी की गाड़ी के पास आता है तब परिवादी से कहता है कि ''अण्ड आजो रसगुल्ला की दुकान पर'' उसके बाद आरोपी रसगुल्ले की दुकान पर नही आकर सीधा फागी की तरफ चला जाता है तब परिवादी आरोपी के मोबाईल फोन पर वार्ता कता है जिसमें आरोपी परिवादी से किसी रिश्तेदार का एक्सीडेन्ट होने की बात कहता है। आदि वार्ता रिकार्ड हुई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 21-2-2024 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र व उस पर दिनांक 21-02-2024 को ही हुई रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व व रिश्वत लेन देन के समय दिनांक 23-2-2024 को परिवादी श्री भंवर लाल सैनी एवं आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा, जिला जयपुर के मध्य हुई वार्ता एवं उस समय तक परिवादी के नामान्तकरण खोलने का कार्य पैण्डिग होने से पाया गया है कि लोक सेवक श्री रोहित पारीक पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा, जिला जयपुर ने अपने पदीय स्थिति का लाभ उठाकर 20,000/- रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना एवं शेष 70,000/- रूपये रिश्वत की स्पष्टतः मांग की गई है।आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा, जिला जयपुर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) वर्ष 2018 में परिधि मे आता है। अतःश्री रोहित पारीक पुत्र श्री अवधेश पारीक, उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट टूटोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा, तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुरके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर।......... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) वर्ष 2018 में आरोपी श्री रोहित पारीक पुत्र श्री अवधेश पारीक, निवासी ग्राम व पोस्ट टूटोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का माधोराजपुरा, तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुरके के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 197 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 395-99 दिनांक 13.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2 पुलिस अधीक्षक–प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3 जिला कलक्टर(भू.अ.), राजस्थान, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/05/2024 10:17:35

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/07/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)